

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाएँ)	18	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर छिन्दवाड़ा जिले में विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zone) की स्थापना/निर्माण हेतु 8.33 हेक्टेयर वनभूमि एवं 72.407 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि कुल 80.737 हेक्टेयर भूमि मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड, नागपुर को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	---

दिनांक: 16/04/19

स्थान: भोपाल


(कैप्टन अनिल कुमार)
(कैप्टन अभिलेख कुमार खरे)
मध्य प्रदेश शासन वन विभाग

म.प्र. शासन वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)